Mediation Act, 2023 — विस्तृत विवरण

1. उद्देश्य और पृष्ठभूमि

Mediation Act, 2023 भारत का पहला व्यापक कानून है जो **मध्यस्थता (Mediation)** को औपचारिक रूप से परिभाषित करता है और पूरे देश में इसे एक मुख्य विवाद-निपटान प्रणाली के रूप में बढ़ावा देता है।

इस कानून के मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं—

- मध्यस्थता को **संस्थागत, संरचित और प्रभावी** बनाना
- मध्यस्थता से बनी **सेटलमेंट एग्रीमेंट** को कानूनी रूप से **न्यायालय के डिक्री** जैसा दर्जा देना
- **Mediation Council of India** का गठन
- **ऑनलाइन मध्यस्थता** को मान्यता देना
- **सामुदायिक विवादों** के लिए कम्युनिटी मेडिएशन की व्यवस्था करना

यह अधिनियम 15 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की सहमति और 9 अक्टूबर 2023 से लागू हुआ।

---

2. क्षेत्र, लागूता और विस्तार

- यह अधिनियम **पूरे भारत** में लागू होता है।
- यह उन विवादों पर लागू होता है जहाँ:
  - दोनों पक्ष भारत में रहते/पंजीकृत/व्यवसाय करते हों, या
  - अनुबंध में स्पष्ट रूप से Mediation Act अपनाया गया हो, या
  - यह **अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता** हो, या
  - किसी सरकारी विभाग/पीएसयू के साथ **व्यावसायिक विवाद** हो।

अधिनियम **भारत के बाहर पूरी तरह संचालित मध्यस्थता** पर लागू नहीं होता।

---

3. "Mediation" की परिभाषा

कानून में 'मध्यस्थता' को विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है, जिसमें शामिल हैं—

- **Pre-litigation Mediation** — मुकदमा दर्ज करने से पहले
- **Court-referred Mediation** — न्यायालय द्वारा भेजे गए मामले
- **Online Mediation** — डिजिटल माध्यम से
- **Community Mediation** — समुदाय/स्थानीय विवादों के लिए
- **Conciliation** — अब इसे भी मेडिएशन माना गया है

यह अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक व्यापक परिभाषा है।

---

4. कौन से विवाद मध्यस्थता योग्य हैं / नहीं हैं

✓ मध्यस्थता योग्य विवाद

- सभी **सिविल और वाणिज्यिक** विवाद
- रोजगार, व्यवसाय, अनुबंध
- कई **परिवारिक विवाद**
- समुदाय स्तर के विवाद

✗ मध्यस्थता के लिए उपयुक्त नहीं (Schedule के अनुसार)

- **गैर-समझौता योग्य अपराध**, गंभीर धोखाधड़ी
- **टैक्स व राजस्व** संबंधी विवाद
- **पर्यावरण**, भूमि अधिग्रहण जैसे नियामक विवाद
- ऐसे विवाद जिनमें **तीसरे पक्ष के अधिकार** सीधे प्रभावित हों

- विशेष ट्रिब्यूनल के अधिकार-क्षेत्र वाले मामले

---

5. Pre-litigation और Court-Annexed Mediation

5.1 Pre-litigation Mediation

- नागरिक/वाणिज्यिक विवाद के पक्षकार **मुकदमे से पहले स्वेच्छा से मध्यस्थता** का चयन कर सकते हैं।
- कानून इसे *स्वैच्छिक* रखता है (कुछ अन्य कानून इसे अनिवार्य बनाते हैं, जैसे Commercial Courts Act)।

5.2 Court-referred Mediation

- कोई भी न्यायालय/ट्रिब्यूनल **किसी भी चरण पर** मामले को मध्यस्थता के लिए भेज सकता है।
- मध्यस्थता के दौरान आवश्यक होने पर न्यायालय **अंतरिम आदेश** जारी कर सकता है।

---

6. मध्यस्थता की प्रक्रिया और समय-सीमा

6.1 समय-सीमा

- मध्यस्थता **120 दिनों** में पूरी होनी चाहिए।
- पक्षकार सहमति से **60 दिन अतिरिक्त** बढ़ा सकते हैं।
- कुल अधिकतम **180 दिन**।
- यह समय-सीमा *limitation period* से बाहर रहती है।

6.2 Mediator की नियुक्ति और भूमिका

- पक्षकार आपसी सहमति से मध्यस्थ चुन सकते हैं।
- सहमति न होने पर Mediation Service Provider नियुक्त करेगा।
- मध्यस्थ केवल **सुविधाकर्ता** होता है — कोई निर्णय थोप नहीं सकता।
- निष्पक्षता बनाए रखनी होती है; हित-संघर्ष होने पर बदला जा सकता है।

6.3 गोपनीयता और Privilege

- मध्यस्थता की सभी चर्चाएँ **गोपनीय** और सामान्यतः न्यायालय में **अप्रमाण्य** होती हैं।
- मध्यस्थ को गवाह के रूप में नहीं बुलाया जा सकता (सीमित अपवाद छोड़कर)।

6.4 प्रक्रिया का समापन

मध्यस्थता समाप्त होती है यदि—

- सेटलमेंट बन जाए
- मध्यस्थ इसे आगे असंभव मान ले
- कोई पक्ष लिखित में बाहर हो जाए
- समय-सीमा समाप्त हो जाए

असफल होने पर मध्यस्थ **non-settlement report** जारी करता है (बिना कारण बताए)।

---

7. Mediated Settlement Agreement (MSA)

7.1 स्वरूप

- यह एक **लिखित समझौता** होता है,
- दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित और मध्यस्थ द्वारा **प्रमाणित**।

अधिकतर मामलों में इसे 180 दिनों के भीतर संबंधित प्राधिकरण के साथ **पंजीकृत** करना होता है।

7.2 प्रवर्तन

- MSA को **न्यायालय डिक्री** की तरह लागू किया जा सकता है।
- एक्जीक्यूशन, सेट-ऑफ, डिफेंस आदि में उपयोग संभव।

7.3 चुनौती के आधार (बहुत सीमित)

केवल निम्नलिखित कारणों पर चुनौती संभव है—

1. धोखाधड़ी
2. भ्रष्टाचार
3. प्रतिरूपण (impersonation)
4. ऐसा विषय जो कानूनन मध्यस्थता योग्य नहीं

चुनौती **90 दिन** के भीतर दायर करनी होती है (90 दिन अतिरिक्त बढ़ाने की अनुमति संभव)।

---

8. Mediation Service Providers और Mediation Council of India

8.1 Mediation Service Providers (MSPs)

इनमें शामिल हैं—

- Mediation Council द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएँ
- Legal Services Authorities
- न्यायालय-अनुबंधित (court-annexed) केंद्र

काम—

- मध्यस्थों का पैनल बनाना
- ढांचा एवं सचिवीय सहायता
- MSA का पंजीकरण
- प्रशिक्षण व गुणवत्ता नियंत्रण

8.2 Mediation Council of India (MCI)

दिल्ली स्थित एक वैधानिक निकाय, जिसके कार्य—

- मध्यस्थता को बढ़ावा देना
- MSPs और Mediators का **पंजीकरण एवं विनियमन**
- प्रशिक्षण, सर्टिफिकेशन मानक तय करना
- MSAs का **इलेक्ट्रॉनिक भंडार** रखना
- वार्षिक रिपोर्ट सरकार को देना

यह ADR क्षेत्र में एक केन्द्रीय **नियामक निकाय** के रूप में कार्य करेगा।

---

9. ऑनलाइन मध्यस्थता

कानून **ऑनलाइन मध्यस्थता** को पूर्ण मान्यता देता है—

- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इलेक्ट्रॉनिक संचार आदि के माध्यम से किसी भी चरण पर मध्यस्थता संभव
- गोपनीयता, निजता और डेटा-सुरक्षा अनिवार्य
- ऑनलाइन सेटलमेंट भी सामान्य MSA की तरह लागू/चैलेंजेबल है

इससे **अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक मध्यस्थता** भारत में संचालित करना आसान हो जाता है।

---

10. सामुदायिक मध्यस्थता (Community Mediation)

उन स्थानीय विवादों के लिए लागू जो—

- शांति, सद्भाव और सामाजिक संतुलन को प्रभावित करते हों

विशेषताएँ—

- पक्षकारों की सहमति अनिवार्य
- 3-मध्यस्थों का पैनल (स्थानीय सम्मानित व्यक्ति/विशेषज्ञ)
- सामाजिक एवं सामुदायिक समाधान पर केंद्रित

---

11. अन्य कानूनों के साथ सामंजस्य

Mediation Act के साथ संरेखित करने हेतु कई कानूनों में संशोधन किए गए—

- **Arbitration & Conciliation Act, 1996** — conciliation को अब mediation माना गया
- **MSME Act** — अब विवाद पहले मध्यस्थता को भेजे जा सकते हैं
- CPC, Consumer Act, Commercial Courts Act, Companies Act आदि में आवश्यक बदलाव
- न्यायालय-भेजी मध्यस्थता अब इसी कानून के अंतर्गत होगी

---

12. व्यावहारिक प्रभाव और चुनौतियाँ

12.1 व्यवसायों और बोर्डों के लिए लाभ

- अनुबंधों में **मध्यस्थता क्लॉज़** अब अधिक स्पष्टता से बनाए जा सकते हैं
- विवादों का **तेज़ और लागत-प्रभावी समाधान**
- MSA की **मजबूत प्रवर्तन क्षमता**
- ESG व कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सकारात्मक प्रभाव

12.2 आलोचनाएँ

- सरकारी विवादों का स्कोप सीमित
- प्रशिक्षित मध्यस्थों और संस्थानों की कमी
- कुछ प्रक्रियाएँ और स्पष्ट हो सकती थीं
- चुनौती के सीमित आधार होने के बावजूद दुरुपयोग की संभावनाएँ

फिर भी यह भारत की न्याय प्रणाली में **एक ऐतिहासिक परिवर्तन** माना जा रहा है।